

प्रेस-नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 29.10.2022

अनाधिकृत तरीके से बैंक खाते से बारी-बारी आठ लाख चौरासी हजार रूपया निकालने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना खजनी जनपद गोरखपुर मय फोर्स के द्वारा थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2018 धारा 419,420 भादवि व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूर्य प्रकाश शुक्ल पुत्र वेद व्यास शुक्ल निवासी उफरौली पोस्ट बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूर्य प्रकाश शुक्ल पुत्र वेद व्यास शुक्ल निवासी उफरौली पोस्ट बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 144/2018 धारा 419,420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सिकरीगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इकरार अहमद थाना खजनी गोरखपुर।
2. का0 अमलेश यादव थाना खजनी गोरखपुर।
3. का0 विक्की गुप्ता थाना खजनी गोरखपुर।
4. कां0 रंजीत सोनी थाना खजनी गोरखपुर।